न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 93 / 2023	26–07–2023	19–10–2023

01– सरकार जरिये श्री विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी अलवर, जिला अलवर राज0।

बनाम

01– श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री कृष्ण कुमार शर्मा, निवासी 3126 / 55डी कंपनी बाग, रेवाडी, हरियाणा हाल मामा मियां पिज्जा, सूचना केन्द्र कार्यालय के पास, नंगली सर्किल, अलवर जिला अलवर राज0।

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा के) भरे हुए आईओसी कंपनी के मय गैस, 1 रेग्यूलेटर मय रबर नली को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः–
01–विभागीय प्रतिनिधि
02–श्री कमल सिंह रावत

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

–ःनिर्णयः–

प्रवर्तन अधिकारी, अलवर ने प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 03.05.2023 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी अलवर के निर्देशानुसार घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरुपयोग की जाँच हेतु फर्म मामा मियां पिज्जा, सूचना केन्द्र कार्यालय के पास, नंगली सर्किल, अलवर पर पहुचाँ। मौके पर श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री कृष्ण कुमार शर्मा उपस्थित मिले। फर्म मामा मियां पिज्जा, सूचना केन्द्र कार्यालय के पास, नंगली सर्किल, अलवर की दुकान पर अवैध रूप से भण्डारण किये गये 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा के) भरे हुए आईओसी कंपनी के मय गैस, 1 रेग्यूलेटर मय रबर नली मिले जो क्रमशः सिलेण्डर नंबर 127573 आईओसी भार क्षमता 14.2 किग्रा, खाली सिलेण्डर भार 15.1 किग्रा, सत्यापन पर कुल भार 23.700 किग्रा शुद्ध गैस का भार 8.6 किग्रा तथा सिलेण्डर नंबर 351685 आईओसी भार क्षमता 14.2 किग्रा, खाली सिलेण्डर भार 15.6 किग्रा, सत्यापन पर कुल भार 22.400 किग्रा शुद्ध गैस का भार 6.8 किग्रा पाये गये। श्री राजकुमार द्वारा घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री शर्मा के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों को व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा के) भरे हुए आईओसी कंपनी के मय गैस, 1 रेग्यूलेटर मय रबर नली को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा के) भरे हुए आईओसी कंपनी के मय गैस, 1 रेग्यूलेटर मय रबर नली को मै0 गोविन्द गैस एजेंसी, बिजली घर का चौराहा, अलवर के प्रतिनिधि श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रूपनारायण जाटव को सुपुर्द किया गया।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा के) भरे हुए आईओसी कंपनी के मय गैस, 1 रेग्यूलेटर मय रबर नली को राजसात करने की कृपा करें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),
अलवर (राज0)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी मय वकील उपस्थित। वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में दिनांक 03.05.2023 को प्रवर्तन अधिकारी, श्री विनोद जुनेजा की ओर से प्रार्थी मै0 फर्म मामा मियां पिज्जा, सूचना केन्द्र कार्यालय के पास, नंगली सर्किल अलवर की दुकान पर अवैध रूप से भण्डारण किये गये 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा के) भरे हुए आईओसी कंपनी के मय गैस, 1 रेग्यूलेटर मय रबर नली जब्त किया गया था, जबकि वास्तविकता यह है कि दिनांक 03.05.2023 को दो लड़के जिनका नाम नहीं जानता था, बाद में मालूम करने पर जानकारी हुई कि वो दुर्गेश व लवकुश जांगिड़ थे। वो मेरी दुकान पर कुछ खाने पीने के लिए रुक गये, जिनके पास दो अलग–अलग सिलेण्डर थे। दोनों उक्त सिलेण्डरों में पानी होने की शिकायत करने लगे तथा कहने लगे कि हमारे सिलेण्डर चैक कर दो, हमारे घर में सिलेण्डरों में पानी की शिकायत थी, क्या अब भी इनमें पानी है? उन्होंने कहा कि हमारे सिलेण्डर आपके चूल्हे में जलाकर देखो कि इनमें पानी है या नहीं। मेरी दुकान पर काम करने वाले आदमी द्वारा उनके कहने पर उक्त सिलेण्डरों को अपने गैस के चूल्हे में लगाकर चलाकर देख रहा था। इतने में ही प्रवर्तन अधिकारी, श्री विनोद जुनेजा आ गये, उन्होंने कहा कि वे गैस सिलेण्डर की जांच करने आये है। आप द्वारा घरेलू सिलेण्डर दुकान में काम लिये जा रहे हैं। मैंने निवेदन किया कि उक्त सिलेण्डर मेरे नहीं है। सिलेण्डरों में पानी की शिकायत करने पर मेरे यहां काम करने वाले आदमी द्वारा चैक किये जा रहे थे। मगर वो नहीं माने और उन्होंने दोनों सिलेण्डर जब्त कर लिये। प्रार्थी की दुकान पर केवल मात्र व्यावसायिक सिलेण्डरों का उपयोग किया जाता है। उन दो लड़कों के निवेदन पर ही उक्त दोनों सिलेण्डर चैक किये गये, जिसमें प्रार्थी व उसकी फर्म की कोई बदयान्ति नहीं है और ना ही प्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन किया गया है तथा ना ही प्रार्थी का उक्त अपराध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को उक्त प्रकरण में की गई कार्यवाही से दोषमुक्त फरमाए जाने की कृपा करें। प्रार्थी के विरूद्व कि गई 6ए की कार्यवाही ड्राप फरमाई जावें।

अप्रार्थी द्वारा जिन दो लड़कों के उक्त दोनों सिलेण्डर होने की बात कही है, उनके शपथ पत्र पेश किये गये हैं। दुर्गेश पुत्र संतोष जाति सैन मकान नंबर 192, इंद्रा कॉलोनी अलवर द्वारा शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि दिनांक 03.05.2023 को वह एक गैस सिलेण्डर जो उसकी माता जी श्रीमती मैना देवी के नाम से इण्डियन ऑयल का गोविन्द गैस सर्विस, अलवर से जारी करवाया हुआ था। जिसका एसबी क्रमांक नंबर 1000000548457353 है, जो दिनांक 16.10.2015 को लिया गया था। दिनांक 03.05.2023 को उक्त सिलेण्डर में पानी की शिकायत थी जिस पर गैस वालों से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि आप सिलेण्डर देकर चैक करा ले अगर सिलेण्डर में पानी हुआ तो बदलकर दूसरा सिलेण्डर दे देंगे। मैं उक्त सिलेण्डर को बदलवाने के लिए जा रहा था तो रास्ते में मामा मियां पिज्जा, नंगली सर्किल के पास, अलवर की दुकान पर कुछ खाने पीने के लिए रूक गया था। मेरे बाद एक अन्य लड़का जिसका नाम मैं नहीं जानता, उस दुकान पर खाने पीने के लिए रूका। बातों ही बातों में सिलेण्डर में पानी होने की बात चल गई कि गैस वाले गैस की जगह पानी भर देते हैं। उसने भी कहा कि उसके सिलेण्डर में भी पानी की शिकायत है। फिर हम दोनों ने मामा मियां पिज्जा, नंगली सर्किल के पास, अलवर की दुकान पर काम करने वाले आदमी से कहा कि हमारे सिलेण्डर चैक करना, तो उस आदमी द्वारा मेरे सिलेण्डर को अपने गैस के चूल्हे में लगाकर चलाकर देखा। इतने में ही सरकारी कर्मचारी आ गये तथा उन्होंने कहा कि हम गैस सिलेण्डर जांच करने आये हैं। आप द्वारा घरेलू सिलेण्डर काम में लिया जा रहा है। मैंने उनसे कहा कि यह मेरा सिलेण्डर है। मैं इसमें पानी की शिकायत होने के कारण चैक करवा रहा हूं, लेकिन उन्होंने मेरा सिलेण्डर जब्त कर लिया। उक्त सिलेण्डर मेरा स्वयं का है जो घरेलू उपयोग में लिया जाता है। जिसके समस्त कागजात मेरे पास मौजूद है। मुझे मेरा सिलेण्डर वापस दिलाया जावे। दूसरा शपथ पत्र लवकुश जांगिड पुत्र श्री राधेश्याम

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

जांगिड जाति जांगिड उम्र करीब 32 साल निवासी ब्रह्मचारी मौहल्ला जिला अलवर द्वारा पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 03.05.2023 को वह एक गैस सिलेण्डर जो उसके पिताजी श्री राधेश्याम जांगिड के नाम से इण्डियन ऑयल का गोविन्द गैस सर्विस, अलवर से जारी करवाया हुआ था। जिसका एसबी कमांक नंबर 5703634 है, जो दिनांक 26.03.1999 को लिया गया था। दिनांक 03.05.2023 को उक्त सिलेण्डर में पानी की शिकायत थी जिस पर गैस वालों से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि आप सिलेण्डर देकर चैक करा ले अगर सिलेण्डर में पानी हुआ तो बदलकर दूसरा सिलेण्डर दे देंगे। मैं उक्त सिलेण्डर को बदलवाने के लिए जा रहा था तो रास्ते में मामा मियां पिज्जा, नंगली सर्किल के पास, अलवर की दुकान पर कुछ खाने पीने के लिए रूक गया था। मेरे बाद एक अन्य लड़का जिसका नाम मैं नहीं जानता, वह उस दुकान पर कुछ खा पी रहा था। बातों ही बातों में सिलेण्डर में पानी होने की बात चल गई कि गैस वाले गैस की जगह पानी भर देते हैं। उसने भी कहा कि उसके सिलेण्डर में भी पानी की शिकायत है। फिर हम दोनों ने मामा मियां पिज्जा, नंगली सर्किल के पास, अलवर की दुकान पर काम करने वाले आदमी से कहा कि हमारे सिलेण्डर चैक करना, तो उस आदमी द्वारा मेरे सिलेण्डर को अपने गैस के चूल्हे में लगाकर चलाकर देखा। इतने में ही सरकारी कर्मचारी आ गये तथा उन्होंने कहा कि हम गैस सिलेण्डर जांच करने आये हैं। आप द्वारा घरेलू सिलेण्डर काम में लिया जा रहा है। मैंने उनसे कहा कि यह मेरा सिलेण्डर है। मैं इसमें पानी की शिकायत होने के कारण चैक करवा रहा हूं, लेकिन उन्होंने मेरा सिलेण्डर जब्त कर लिया। उक्त सिलेण्डर मेरा स्वयं का है जो घरेलू उपयोग में लिया जाता है। जिसके समस्त कागजात मेरे पास मौजूद है। मुझे मेरा सिलेण्डर वापस दिलाया जावे।

विभागीय पैरोकर की बहस सुनी गई। विभागीय पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वक्त निरीक्षण अप्रार्थी द्वारा घरेलू सिलेण्डर व्यावसायिक कार्यों में उपयोग में लिये जाने के संबंध में अप्रार्थी द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर अप्रार्थी द्वारा उपयोग में लिये जा रहे दोनों सिलेण्डरों को जब्त किया गया। अतः उक्त दोनों घरेलू सिलेण्डरों को राजसात किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया तथा शपथकर्ता श्री दुर्गेश व लवकुश के द्वारा पेश शपथपत्रों का भी अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा दोनों शपथकर्ताओं के दो सिलेण्डरों में पानी होने की जांच उसके यहां काम करने वाले कार्मिक द्वारा अनभिज्ञता के कारण की गई थी। जबकि शपथकर्ताओं द्वारा उक्त दोनों सिलेण्डरों को अपना होना बताया गया है तथा उन्होंने सिलेण्डरों के एसबी कमांक तथा उक्त सिलेण्डरों के किसके नाम से जारी किये गये है तथा किस फर्म से तथा किस दिनांक को लिये गये हैं, का भी उल्लेख किया गया है। उक्त शपथकर्ताओं के शपथ पत्र से जाहिर होता है कि उक्त दोनों सिलेण्डर मामा मियां पिज्जा, नंगली सर्किल के पास, अलवर के ना होकर उक्त दोनों शपथकर्ताओं के हैं।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 खारिज कर जिला रसद अधिकारी अलवर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रकरण में जब्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा के) भरे हुए आईओसी कंपनी के मय गैस, 1 रेग्यूलेटर मय रबर नली को उक्त शपथकर्ताओं को लोटाये जावें।

निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.10.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)